

पतात... २५२००००० अधिकारी मुकाम... सुपुत्र  
... राम-पुत्र... बनाम... साराधल... साराध  
मुकदमा... २२-१९९... नं०... सब... ०५/६/१३

दिनांक हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुकम की तारीख जारी हुआ
6/13	<p>आज मद्र इण्डिया वाकी पकील हाथ पेस किम रण सिन्हा हाथ रिपोर्ट है व पर पत्रावली मजि रिपोर्ट की उपरोक्त तथ्य प्रमाणित रूप को सिद्ध करना तबकि किम रण सिन्हा पत्रावली पेश करके दिनांक २७/६/१३ को पेश हो</p>	<p>प्रमाण पत्र ५/६/१३</p>
25-6-13	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... २५/६/१३... दिनांक... २५-६-१३... को पेश हो।</p>	<p>1015 Gau 25/6/13 Jm</p>
9-2-13	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... ९/२/१३... दिनांक... ९-२-१३... को पेश हो।</p>	
22/13	<p>पत्रावली पेश हुई... दिनांक... २२-१३... को पेश हो।</p>	
13/13	<p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी... १३/१३... दिनांक... १३-१३... को पेश हो।</p>	
१-१३	<p>पत्रावली पेश हुई बार सघं का कार्य स्थगित है। गत आदेशानुसार पत्रावली दिनांक... १-१-१३... को पेश हो</p>	



2/8/24 वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.  
पत्रावली गत आदेशानुसार वारते...  
दिनांक 4/10/24 को पेश हो।  
4.10.24

4/10/24 वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.  
पत्रावली गत आदेशानुसार वारते...  
दिनांक 4.10.24 को पेश हो।

4/10/24 पत्रावली पेश हुई पीठासीन  
अधिकारी...  
दिनांक 3/11/24 को पेश हो।

9 <sup>12</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। वकालत परिचय उपर।  
पत्रावली वारते तलवी प्रतिवादीगण  
दिनांक 13/01/25 को पेश हो।

13 <sup>1</sup>/<sub>25</sub> पत्रावली पेश हुई पीठासीन  
अधिकारी...  
दिनांक 11/2/25 को पेश हो।

11 <sup>2</sup>/<sub>25</sub> वकील वादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप.  
पत्रावली गत आदेशानुसार वारते...  
दिनांक 28.2.25 को पेश हो।

28 <sup>2</sup>/<sub>25</sub> पत्रावली पेश हुई वकालत परिचय उपर।  
वकील उपस्थिति उपर। पत्र दिनांक 12/2/25  
को शामिल पत्रावली है। वकील उपस्थिति  
निवेदन किया कि पूर्ण में व्यापारिक क्षमता  
मूल वाद में निर्णय व डिमि पारित किया गया  
है। उक्त निर्णय व डिमि की कपील माननीय  
राजस्व क्षपील अधिकारी दनुमानगढ़ के  
थकां की गई। राजस्व क्षपील अधिकारी

दावा किता  
किसे जाने व  
धारा 144 CrP  
स्वीकार इतने  
पर सहमत है  
गुदलागु  
पत्रावली  
01/25

अनुमानगढ़ के निर्णय दिनांक 15/2/2018 के  
 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिप्टी  
 दिनांक 20/3/2015 को अपातल कर पुनः पुनर्वा  
 हेतु निर्देशित किया गया हो अतः उक्त प्रार्थना  
 पर स्वीकार किया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल  
 की जाकर पुनर्वाही की जावे।  
 वकील उर्षी की अफसर्तुनी गई। पत्रावली के  
 प्रस्तुत दस्तावेजों का अपलोड किया गया।  
 प्रार्थना पर के संबंधित मूल वाद अन्वय रामचंद्र  
 बनाम जयपाल में न्यायालय द्वारा कथित दिनांक  
 20/3/2015 को निर्णय व डिप्टी जारी किये गये।  
 जिसकी अपील माननीय राजस्व अपील अधिकारी  
 अनुमानगढ़ के यहां की गई। माननीय राजस्व  
 अपील अधिकारी अनुमानगढ़ के दिनांक 15/2/2018  
 को निर्णय पारित करते हुए निवेदित किया की  
 उपरोक्त अधिकारी आदेश निर्णय दिनांक 20/3/2015 को  
 अपातल किया जाता है एवं राजस्थान सरकार अधिकारी अधिकारी  
 के निषेध 18'ता 2 की पालना में पुनः विलापन  
 प्रस्ताव मे गवाया जाकर उपरोक्त अधिकारी राजस्व  
 आदेश द्वारा निर्णय पुनः पारित किया जावे। अतः  
 माननीय राजस्व अपील अधिकारी अनुमानगढ़  
 के निर्णय की अनुपालना में प्रार्थना पर प्रार्थना  
 अन्तर्गत धारा 144 CrP स्वीकार किया जाता है  
 तथा तदपीलदात राजस्व आदेश को निर्देशित  
 किया जाता है कि यदि राजस्व रिमांड में न्यायालय  
 द्वारा के निर्णय व डिप्टी दिनांक 20/3/2015 की  
 अनुपालना में नामान्तरण पूर्व की कार्यवाही  
 की गई है तो निर्णय व डिप्टी से पूर्व की स्थिति  
 बहाल करते हुए मूलवाद् रामचंद्र बनाम जयपाल

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख  
फर्द अहकाम की  
हुक्म की तारीख  
जारी हुआ

मु० नं० 118/13 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
1955 के नियम 18 ता 21 की पालना में पुनः  
विकासन प्रस्ताव तैयार करने की कार्यवाही  
की जावे के निर्देश के द्वारा पत्रावली दिनांक  
दुई थी। परन्तु वादी अपने दावा को पालना  
नहीं प्राप्त कर व इसी स्थिति पर खारिज करने  
का निवेदन किया। इसलिए दावा वादी खारिज  
किया जाता है। पत्रावली नम्बर है क्र० नं०  
दाखिल प्रस्ताव नं० 118/13